पीएनबी कृषि कार्ड (किसान क्रेडिट कार्ड) के अंतर्गत वित्तपोषण योजना

सीमा का उद्देश्य : किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों को जुताई तथा निम्न दर्शायी गई अन्य आवश्यकताओं के लिए एकल खिड़की के अंतर्गत बैंक से यथोचित तथा यथासमय मदद प्रदान करना है।

- **क)** कृषि कार्यकलापों के लिए अल्पकालीन कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ।
- **ख)** फसल कटाई पश्चात खर्चे।
- **ग)** उत्पादन विपणन ऋण।
- **घ)** कृषकों की घरेलू उपभोग आवश्यकताएं ।
- **ङ)** कृषि आस्तियों के रखरखाव तथा कृषि से संबंधित गतिविधियों जैसे पशुधन, आंतरिक मत्स्य पालन आदि के लिए कार्यशील पूंजी।
- **च)** कृषि तथा संबंधित गतिविधियों जैसे पंपसैट, छिड़काव यंत्र, पशुधन आदि के लिए निवेश ऋण आवश्यकताएं।

नोट: उपर्युक्त **क** से **ङ**: के कुल घटक अल्पावधि ऋण सीमा के हिस्से हैं और **च** के तहत कुल घटक दीर्घकालिक ऋण सीमा के हिस्से होंगे।

पात्रता : प्रगतिशील साक्षर और अनपढ़ किसान जो मालिक किसान, किरायेदारों, पट्टेदार या रिकार्डेड अधिग्रहित अधिकार के साथ आवंटी किसान या पैतृक/ खेती की सर्वाधिकार अधिकार/ संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) वाले किसान| केवल मौखिक किरायेदारों ही ऋण के लिए पात्र हो सकता है यदि भूमि मालिकों सह-उधारकर्ता बनने के लिए सहमत हो । ऐसे खातों में जो तरल प्रतिभूतियों द्वारा सुरक्षित हैं जैसे एफडीआर, एनएससी/ केवीपी आदि मौखिक किरायेदारों के लिए कार्ड भूमि मालिकों को सह उधारकर्ताओं बनाकर बिना निर्धारित शर्तों के जारी किया जा सकता है।भूमिहीन मजदूरों, फसल साझेदार, काश्तकार और मौखिक पट्टेदार को रू. 50,000 तक की सीमा का पीएनबी कृषि कार्ड शपथ पत्र के आधार पर जारी किया जा सकता है|

ऋण सीमा : अधिकतम **5**0 लाख रुपये

किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ऋण सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है :

प्रथम वर्ष के लिए अल्पावधि सीमा प्रदान की जाएगी : फसलों के लिए वित्तपोषण का परिमाप (जिला स्तरीय तकनीकी समिति के निर्णयानुसार) **X** जोते गए क्षेत्र की सीमा **+** फसल कटाई पश्चात्/ घरेलु /उपभोग आवश्यकताओं के लिए सीमा का 10**%** (3 लाख रुपये तक के अधिकतम कवरेज में स्वास्थ्य बीमा कवर के प्रीमियम को भी शामिल किया जा सकता है) **+** फार्म आस्तियों की मरम्मत एवं रखरखाव **+** फसल बीमा, पेस तथा आस्ति बीमा के लिए सीमा का 20**%**

द्वितीय एवं आगामी वर्षों के लिए सीमा : उपर्युक्तानुसार फसल जुताई के उद्देश्य के लिए प्रथम वर्ष की सीमा **+** प्रत्येक आगामी वर्ष (दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ष) के लिए वित्तपोषण के परिमाप में लागत विस्तार / वृद्धि के लिए सीमा का 10**%** तथा 5 वर्षों के लिए भूमि विकास, सूक्ष्म सिंचाई, फार्म संयत्रों की खरीद तथा संबंद्ध कृषि गतिविधियों में निवेश हेतु अनुमानित मीयादी ऋण घटक।

अधिकतम अनुमत सीमा : 5वें वर्ष के लिए अल्पावधि मीयादी ऋण सीमा **+** अनुमानित दीर्घावधि ऋण आवश्यकताएं **अधिकतम अनुमत सीमा(एमपीएल)** होगी तथा **किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट** मानी जाएगी।

नोटः संशोधन के लिए लिंक कृषि बैंकिंग के तहत -किसान - कृषि ऋण योजनाएं (क्रम सं 38)